//निर्णय//

(आज दिनांक 02/ 01/.2018 को घोषित किया गया ।)

1. आरोपिया सुभद्रा बाई स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 36 (सी) आबकारी अधिनियिम के तहत अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2. आरोपिया का यह प्रथम अपराध है। अभियोजन द्वारा आरोपिया के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी साबित नहीं की गयी है। अतः आरोपिया को धारा..........36 (सी) आबकारी अधिनियिम........... के अंतर्गत 1000/............../–...रूपये अक्षरी(एक हजार.............................. रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपिया द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 15 दिन..............के साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे ।

3. प्रकरण में जप्त संपत्ति पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा गिलास एवं डिस्पोजेबल गिलास नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित

लोकेश कुमार
न्या0म0प्र0श्रेणी बगीचा

मेरे निर्देश पर टंकित

लोकेश कुमार
न्या0म0प्र0श्रेणी बगीचा